

MRAA FINANCIA

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] No. 68]

मई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 2008/पौष 25, 1929 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 2008/PAUSA 25, 1929

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2008

का,आ. 92(अ),—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में यह निदेश देते हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का उप राज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन रहते हुए और अगले आदेश होने तक, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के अधीन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के मीतर राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन भी करेगा ।

> [फा. सं. यू-11030/1/2007-यूटीएल] बी. ए. कुटीनो, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2008

S.O. 92(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006) within the National Capital Territory of Delhi.

[F. No. U-11030/1/2007-UTL]

B. A. COUTINHO, Jt. Secy.